न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय

सवाई माधोपुर

जगदीश बनाम हेमराज

वाद

राजीनामा

महोदय,

सेवामें राजीनामा निम्न प्रकार पेश हैं :–

1. यह कि पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो गया हैं।

2. यह कि वाद पत्र का चरण कमांक 2 में वर्णित भूमि ख0न0 1292 रकबा 0.20 है0, ख0न0 1293 रकबा 0.19 है0, ख0न0 1294 रकबा 0.17 है0, ख0न0 1295 रकबा 0.17 है0, ख0न0 1296 रकबा 0.29 है0 व ख0न0 1509 रकबा 0.12 है0 कुल रकबा 1.14 है0 का 1/3 हिस्सा वादी की खातेदारी में पृथक से दर्ज किया जावें, शेष 2/3 हिस्सामें से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज की जावें अर्थात् 0.38 ऐयर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की जावें तथा 0.38 ऐयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावें तथा 0.38 ऐयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावें।

3. यह कि इस प्रकार प्रतिवादी हेमराज की जमाबन्दी खाता संख्या नया 549 में अंकित भूमि खसरा नं0 1279 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1280 रकबा 0.15 है0 कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर में से केवल 1/2 ऐयर अर्थात् आधा ऐयर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के

यह राजीनामा हमारे समक्ष पक्षकारान की ओर से पेश हुआ। राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया। पढ़कर, सुनकर व समझकर राजीनामा सही होना स्वीकार किया। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वादी

जगदीश

पहचानकर्ता

प्रतिवादी

हीराराम

हीरे राम

पहचानकर्ता
Raghu Singh
रघुवीर सिंह

पहचानकर्ता
Raghu
रघुवीर

संख्या 1 हेमराज की खातेदारी में से आधा ऐयर भूमि कम की जावें तथा आधा ऐयर भूमि मापक र प्रतिवादी हेमराज से वादी को मौके पर दिलायी जावें।

4. यह कि इस प्रकार प्रतिवादी हरिराम जमाबन्दी खाता सं0 नयी 544 ख0न0 1289 रकबा 0.17 है0, ख0न0 1290 रकबा 0.14 है0 कुल रकबा 0.31 है0 में से मात्र डेढ ऐयर भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावें तथा डेढ ऐयर भूमि मापकर प्रतिवादी हरिराम वादी को मौके पर देगा इस प्रकार वादी के नाम 28 ऐयर के स्थान पर 29–1/2 ऐयर भूमि खातेदारी में दर्ज की जावें तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 वादी को नापकर 29–1/2 ऐयर भूमि मौके पर कब्जा में सम्भालायेगा।

अतः यह राजीनामा प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजीनामा प्रमाणित कर वादी का यह वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किया जावें तथा इसी अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 28 ऐयर के स्थान पर 29–1/2 ऐयर भूमि पृथक से दर्ज की जावें।

दिनांकः–

प्रार्थी/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

जगदीश पुत्र श्री नोन्दा माली
जाति माली निवासी आलनपुर
तह0 व जिला सवाई माधोपुर

1. हेमराज पुत्र नोन्दा माली
2. हरिराम पुत्र नोन्दा माली
निवासी आलनपुर तह0 व जिला
सवाई माधोपुर

जगदीश